



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 197]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 20, 2001/आषाढ़ 29, 1923

No. 197]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 20, 2001/ASADHA 29, 1923

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2001

सं. 310-1(5)/टी आर ए आई/2000.— भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2000 की धारा 11 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकरण को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कि, भारत और भारत के बाहर, जिन टैरिफों पर दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी उन्हें, शासकीय राजपत्र में आदेश द्वारा अधिसूचित किया जाएगा, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, दूरसंचार टैरिफ (11वाँ संशोधन) आदेश, 2001 (2001 का क्रमांक 1) दिनांक 25 जनवरी, 2001 की अधिसूचना का अधिक्रमण करते हुए, एतद्-द्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करता है :

दूरसंचार टैरिफ (15वाँ संशोधन) आदेश, 2001

(2001 का क्रमांक 5)

भाग-I

(क) लघु शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ :

- (i) यह आदेश "दूरसंचार टैरिफ (15वाँ संशोधन) आदेश, 2001" के नाम से जाना जाएगा।
- (ii) यह आदेश, 20 जुलाई, 2001 से लागू होगा।

खण्ड- II

2. दूरसंचार टैरिफ आदेश 1999 की अनुसूची I (आइ एस डी एन से इतर बुनियादी सेवाएं) में, मद 12 (क) के लिए टिप्पणियों के अंतर्गत, अर्थात् “एस टी डी दूरवर्ती कालों” के संबंध में, अतिरिक्त मद (5) शामिल की जाएगी, जो निम्न प्रकार है:

“(5) दो फिक्स्ड ऑपरेटरों के नेटवर्कों पर की जाने वाली दूरवर्ती पी एस टी एन कॉल के सम्बन्ध में पल्स रेट वही होगी जो उतनी ही दूरी की इंटरनेटवर्क कॉल के लिए लागू निम्नतम टैरिफ के तदनु रूप पल्स रेट है। फिक्स्ड नेटवर्क से उद्भूत होने वाली और मोबाइल नेटवर्क पर समाप्त होने वाली कॉल के फिक्स्ड चरण या लैग के सम्बन्ध में पल्स रेट वही होगी जो मूल एस डी सी सी से शुरू होकर, उस एस डी सी सी जिसमें पी ओ आई (POI) स्थित हो, तक के वास्ते एकसमान कैरिज हेतु इन्टर-नेटवर्क कॉलों के लिए सेवा प्रदाता द्वारा लागू न्यूनतम टैरिफ के तदनु रूप पल्स रेट है।”

खण्ड- III

इस आदेश में, संलग्नक “क” में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन दिया गया है ताकि इस आदेश में विनिर्दिष्ट टैरिफों में स्पष्टता और पारदर्शिता हो सके।

आदेश से,

डॉ. हर्ष वर्धन सिंह, सचिव

[विज्ञापन III/IV/असाधारण/142/01]

संलग्नक—“क”

व्याख्यात्मक ज्ञापन

1. दिनांक 29-12-2000 के एक पत्र में बी एस एन एल ने प्राधिकरण को टैरिफों की रिपोर्ट की थी जिसमें, बुनियादी सेवाओं के लिए टी आर ए आई मानक टैरिफ पैकेज की तुलना में, 50 से 200 कि.मी. दूरी की श्रेणियों के सम्बन्ध में उच्चतम प्लस दरों की अवधि विस्तारित करके, 26 जनवरी, 2001 से एस टी डी कॉल चार्ज कम करने की बात कही गई है। तथापि, पत्र के अनुसार, बी एस एन एल की ये संशोधित प्लस दरें केवल “ बी एस एन एल के टेलीफोन अभिदाता द्वारा उद्भूत होने वाली और बुनियादी सेवा नेटवर्क में समाप्त होने वाली इन्ट्रा-सर्किल कॉलों” पर लागू होंगी।
2. प्राधिकरण को सी ओ ए आई और ए बी टी ओं से अभ्यावेदन प्राप्त हुए जिसमें बी एस एन एल के प्रस्ताव के कार्यक्षेत्र को बढ़ाकर उसे इन्टर-नेटवर्क के सम्बन्ध में भी लागू करने के वास्ते प्राधिकरण से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया गया था। उन्होंने प्राधिकरण के हस्तक्षेप की माँग की और अनुरोध किया कि समान अवसर के सिद्धान्त या लेवल प्लेइंग फील्ड के हित में:
 - (क) संशोधित प्लस दरें (अथवा टैरिफ) फिक्स्ड नेटवर्क से सेल्युलर मोबाइल तक कॉलों पर भी लागू होनी चाहिए,
 - (ख) संशोधित प्लस दरें सेल्युलर मोबाइल नेटवर्क द्वारा फिक्स्ड नेटवर्क के लिए अदा किए जाने वाले कैरिएज प्रभार के परिकलन के सम्बन्ध में भी लागू की जानी चाहिए,
 - (ग) संशोधित प्लस दरें, प्राइवेट बुनियादी सेवा प्रदाता द्वारा बी एस एन एल को इन्ट्रा-सर्किल फिक्स्ड से फिक्स्ड नेटवर्क कॉलों के सम्बन्ध में अदा किए जाने वाले कैरिएज प्रभार पर लागू की जानी चाहिए।
3. प्राधिकरण ने उपरोक्त अनुरोधों पर गहराई से विचार किया और यह निर्धारित किया है कि “गैर-विभेदक” और “लेवल प्लेइंग फील्ड” सुनिश्चित करने के वास्ते, और

उपभोक्ताओं के हित में भी बी एस एन एल की संशोधित पल्स दरें, ऊपर मद् 2(क), 2(ख) और 2(ग) में वर्णित मामलों में इण्टर-नेटवर्क कॉलों पर भी लागू होंगी। तथापि 2(ख) और 2(ग) द्वारा कवर किए गए मुद्दों का समाधान, टी आर ए आई अधिनियम 1997 की धारा 13 के अन्तर्गत एक “निर्देश” द्वारा किया गया है, यह आदेश उम्र 2(क) पर वर्णित इण्टर-नेटवर्क कॉल परिदृश्य से सम्बन्धित है।

4. यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि बी एस एन एल द्वारा प्रस्तावित निम्न टैरिफ का लाभ वास्तव में प्राइवेट बुनियादी सेवा ऑपरेटर्स के अभिदाताओं या उपभोक्ताओं को प्राप्त हो, उन ऑपरेटर्स को अपने नेटवर्क से उद्भूत होने वाली इण्टर-नेटवर्क कॉलों के सम्बन्ध में अपनी चार्जिंग व्यवस्था को संशोधित करने के लिए निर्देश दिया जा रहा है ताकि बी एस एन एल द्वारा प्रस्तावित टैरिफ परिवर्तन पूर्णतः परिलक्षित हो सके। अन्तर्निहित सिद्धान्त यह है कि प्रयुक्त एक समान नेटवर्क तत्वों के सम्बन्ध में एक समान टैरिफ ही होना चाहिए। इसलिए, उन सभी फिक्स्ड लैग के सम्बन्ध में वही टैरिफ लिया जाना चाहिए जो फिक्स्ड नेटवर्क पर एकसमान दूरी तय करती है, चाहे वे फिक्स्ड अथवा मोबाइल नेटवर्क पर समाप्त हों। तदनुसार, 25/1/2001 को दूरसंचार टैरिफ (11वाँ संशोधन) आदेश, 2001 (2001 का क्रमांक 1) जारी किया गया था,
5. लेकिन, बी एस एन एल ने प्राधिकरण के निदेश एवं आदेश को कार्यान्वित नहीं किया और दूरसंचार विवाद निपटान और अपीली ट्रिब्यूनल (TDSAT) के समक्ष याचिका दायर कर दी। दूरसंचार विवाद निपटान और अपीली ट्रिब्यूनल (TDSAT) ने, “ट्राई” के 25/1/2001 के निदेश/आदेश के कार्यान्वयन पर रोक के लिए, 22/2/2001 को एक अंतरिम आदेश दे दिया। दूरसंचार विवाद निपटान और अपीली ट्रिब्यूनल (TDSAT) ने 24 अप्रैल, 2001 को इस मामले पर अपना अंतिम आदेश दिया। “ट्राई” के 25/1/2001 व 7/2/2001 के निदेश/आदेश को निष्प्रभावित करते हुए, ट्रिब्यूनल ने यह विचार व्यक्त किया कि बी एस एन एल को, अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया था।

माननीय ट्रिब्यूनल ने अपना आदेश देने के साथ-साथ आगे यह भी विचार व्यक्त किया कि “ट्राई” इस बात के लिए स्वतंत्र है कि वह, सभी सम्बन्धित पक्षों की नए सिरे से सुनवाई करने के बाद, कानून के अनुसार नए आदेश और/या निदेश जारी कर सकता है।

6. दूरसंचार विवाद निपटान और अपीली ट्रिब्यूनल (TDSAT) के आदेशानुसार, प्राधिकरण ने 16 मई, 2001 को, बी एस एन एल, एम टी एन एल, सी ओ ए आई और ए बी टी ओ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की ताकि हर पक्ष अपना विचार प्राधिकरण के समक्ष रख सकें। विस्तृत विचार-विमर्श और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा/परीक्षण आदि को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उसने पहले जो निदेश/आदेश जारी किए थे उनमें परिवर्तन की जरूरत नहीं है। प्राधिकरण का निर्णय, उसके इस दृष्टिकोण पर आधारित है कि, किसी इण्टर-नेटवर्क के फिक्स्ड लैग याने नियत चरण के निमित्त, नए पल्सरेट या 200 कि.मी. तक की दूरी स्लैबों में प्रतिबिंबित, घटे हुए टैरिफ की सुविधा को आगे और न जाने देकर, बी एस एन एल वास्तव में दूसरे नेटवर्क उपभोक्ताओं को सस्ती कॉलिंग दर का फायदा लेने से रोक रहा है। यह बात उपभोक्ता के हितों के विरुद्ध है। ऐसे पी एस टी एन - पी एल एम एन (PSTN - PLMN) इण्टर-नेटवर्क कॉलों के दो बिल्कुल स्पष्ट टैरिफ घटक या तत्व होते हैं। एक तो पी एस टी एन चरण (लैग) वाला होता है और दूसरा पी एल एम एन चरण वाला होता है जिसे “एयर टाइम” कहते हैं। ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते। पी एस टी एन चरण के निमित्त, टैरिफ उसके समान ही होना चाहिए जो, समान या अनुरूप कैरिज के किसी इण्टर-नेटवर्क पी एस टी एन कॉल के लिए होता हो।

TELECOMMUNICATION REGULATORY AUTHORITY OF INDIA**NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th July, 2001

No. 310-1(5)/TRAI-2000.— In supersession to the notification dated 25th January, 2001 containing the Telecommunication Tariff (Eleventh Amendment) Order, 2001(1 of 2001) and in exercise of the powers conferred upon it under sub-section (2) of Section 11 of the Telecom Regulatory Authority of India (Amendment) Act, 2000 to notify, by an Order in the Official Gazette, tariffs at which Telecommunication Services within India and outside India shall be provided, the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following Order.

**The Telecommunication Tariff (Fifteenth Amendment) Order 2001
(5 of 2001)**

Section I

Title, Extent and Commencement

1. Short title, extent and commencement :
 - i) This Order shall be called “Telecommunication Tariff (Fifteenth Amendment) Order 2001”.
 - ii) The Order shall come into force from 20th July 2001.

Section II

2. In Schedule-I (Basic Services other than ISDN) of the Telecommunication Tariff Order, 1999 under Notes for the item 12(a) i.e. for 'STD long distance calls' an additional item (5) shall be inserted as follows :

“(5) The pulse rate for a long distance PSTN call carried on the networks of two fixed operators will be the same as the pulse rate corresponding to the lowest tariff applicable for the same distance intra-network call. The pulse rate for the fixed leg of a call originating in the fixed network and terminating in mobile network shall be the same as pulse rate corresponding to the lowest tariff applied by the service provider, for intra-network calls for identical carriage from the originating SDCC to the SDCC in which the POI is located.”

Section III

This Order contains at Annex A, an Explanatory Memorandum to provide clarity and transparency to the tariffs specified in this Order.

By Order,

Dr. HARSHA VARDHANA SINGH, Secy.

[ADVT III/IV/Exty/142/01]

Annex A**EXPLANATORY MEMORANDUM**

1. In a letter dated 29/12/2000 BSNL reported tariffs to the Authority seeking to reduce the STD call charge from 26th January, 2001, by extending the duration of peak pulse rates for distance categories 50 to 200 kms compared to the TRAI standard tariff package for basic services. According to the letter, these revised pulse rates of BSNL, however, would apply only to “intra-circle calls originated by the telephone subscribers of BSNL, and terminating in the basic service network”.
2. The Authority has received representations from COAI and ABTO that sought the Authority’s intervention to enlarge the scope of BSNL’s proposal in respect of inter-network calls also. They sought the Authority’s intervention and requested that in the interest of level playing field:
 - a) the revised pulse rates (or tariffs) should apply also to calls from fixed network to cellular mobile;
 - b) the revised pulse rates should also apply for calculating the carriage charge to be paid by cellular mobile network to the fixed network;
 - c) the revised pulse rates should apply for the carriage charge paid by the private basic service providers to BSNL on intra-circle fixed to fixed network calls.
3. The Authority has examined the above requests at length and has determined that to ensure ‘non-discrimination’ and a ‘level playing field’, and also in the interest of consumers, BSNL’s revised pulse rates should also apply to the inter-network calls in cases detailed at items 2 (a), 2 (b) and 2 (c) above. While the issues covered by 2 (b) and 2 (c) are addressed by a Direction under Section 13 of the TRAI Act 1997, this Order relates to inter network call scenario described at 2 (a) above.

4. In order to ensure that the benefit of the lower tariff offered by BSNL actually passes on to the subscribers of the private basic service operators, the latter is being directed to modify his charging regime in respect of inter-network calls originating on his network to fully reflect the tariff changes proposed by BSNL. The underlying principle is that the same tariff should be levied for same network elements used. As such, the same tariff should be applied for the fixed leg of an inter network call that traverse the same distance on the fixed network, irrespective of its termination in a fixed or a mobile network. Accordingly, Telecommunication Tariff (Eleventh Amendment) Order, 2001 (1 of 2001) was issued on 25/1/2001.
5. However, BSNL did not implement the direction and order of the Authority and filed an appeal with the Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal (TDSAT). TDSAT passed an interim order on 22/2/2001 staying the implementation of the order/direction of TRAI dated 25/1/2001. On 24th April, 2001 TDSAT passed its final order in this matter. While setting aside the direction/order of TRAI dated 25/1/2001 and 7/2/2001, the Tribunal observed that adequate opportunity had not been given to BSNL to present their case. While passing the order the Hon'ble Tribunal further observed that TRAI would be at liberty to pass fresh Order and/or Directions in accordance with law after giving all the parties a fresh hearing.
6. In accordance with TDSAT's Order, the Authority held a meeting with the representatives of BSNL, MTNL, COAI and ABTO on 16th May, 2001 for the parties to present their case to the Authority. After due deliberation and in the light of the discussion/examinations on various issues, the Authority has reached the conclusion that its earlier directions/orders issued under the Telecom Regulatory Authority of India (Amendment) Act, 2000 do not warrant any alteration. The Authority's decision is based on the view that by not extending the facility of reduced tariff, as reflected in the new pulse rate or distance slabs up to 200 kms for the fixed leg of an Inter-Network, BSNL is denying the advantage of a cheaper calling rate to the subscribers of other net-work, which is clearly anti-consumer. Such PSTN-PLMN Inter-Network calls have two distinct tariff elements i.e. one for the PSTN leg and another for PLMN leg, called 'airtime'. They are quite independent of each other. For the PSTN leg the tariff has to be identical as for an Intra-Network PSTN call of identical carriage.

